

कार्यालय आदेश

श्री निर्मल कुमार जैन (मेरिट नं० 139/2011, लिंक नं. 9443), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ, तत्कालीन कार्यालय उपकोष इन्द्रगढ़, बून्दी को उनकी पत्नी के द्वारा दिनांक 23.11.2015 को पुलिस थाना बाँली, सवाई माधोपुर में आई.पी.सी. की धारा 498ए व 406 में दर्ज मुकदमे में दिनांक 14.12.2015 को रात्रि 10:15 बजे पुलिस हिरासत में लिये जाने एवं पुलिस हिरासत में 48 घंटे से अधिक रहने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 (2) के अंतर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 25166-71 दिनांक 07.01.2016 के द्वारा दिनांक 14.12.2015 से निलंबित किया गया था। निलंबित कर्मियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 18.06.2019 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय किया गया तथा वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(3)वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 158/2019-20 क्रमांक 204 दिनांक 26.06.2019 के द्वारा श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकार ग्रेड-आ जो दिनांक 14.12.2015 से निलम्बित चल रहे थे, को निलम्बन से बहाल किया गया तथा निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् किये जाने का निर्णय लिया गया।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 25.08.2023 के द्वारा श्री निर्मल कुमार जैन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए व 406 आई.पी.सी. में संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया गया। श्री निर्मल कुमार जैन के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं हैं।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड-1 के नियम 54 के अन्तर्गत श्री निर्मल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ की निलम्बन अवधि के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं कि:-

1. श्री निर्मल कुमार जैन को निलम्बन काल में भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

तथा

2. अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना के लिए उक्त निलम्बन अवधि को गणना योग्य माना जावेगा।


(मूषेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

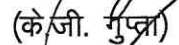
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 11/12-2023

क्रमांक :- एफ.4(ई)(एन-139/2011)/अलेसे-आ/1071

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, बून्दी।
3. पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर।
4. कोषाधिकारी, कोटा/टोंक/बून्दी।
5. थानाधिकारी बाँली, जिला सवाई माधोपुर।
6. उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. अधीक्षक, जिला कारागार टोंक।
10. श्री निर्मल कुमार जैन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ, कार्यालय अधीक्षक, जिला कारागार टोंक।
11. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)